मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय, जबलपुर

//विज्ञापन//

क्रमांक : 183/परीक्षा/2025 जबलपुर, दिनाँक– 09/05/2025

मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय की मुख्यपीठ जबलपुर, खण्डपीठ इंदौर एवं खण्डपीठ ग्वालियर में चतुर्थ श्रेणी (आकस्मिकता निधि से वेतनभोगी) कर्मचारी, खण्डपीठ इंदौर में लिफ्टमैन (चतुर्थ श्रेणी कॉडर) एवं मुख्यपीठ जबलपुर में वाहन चालक (नियमित आकस्मिकता निधि से वेतनभोगी) के पदों पर भर्ती वर्ष–2025 हेतु विज्ञापन

ऑनलाईन आवेदन प्रारंभ होने की तिथि :	13.05.2025 (दोपहर 12:00 बजे से)
आवेदन करने की अंतिम तिथि :	28.05.2025 (दोपहर 12:00 बजे तक)
आवेदन में त्रुटि सुधार की प्रारंभिक तिथि :	29.05.2025 (दोपहर 12:00 बजे से)
आवेदन में त्रुटि सुधार की अंतिम तिथि :	01.06.2025 (दोपहर 12:00 बजे तक)
साक्षात्कार का स्थान एवं दिनांक :	बाद में अधिसूचित की जावेगी।

नोट :– अभ्यर्थियों से अपेक्षित है कि वे चयन प्रकिया से संबंधित आगामी प्रक्रियाओं की जानकारी प्राप्त करने के अनुक्रम में मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय की आधिकारिक वेबसाईट का समय–समय पर अवलोकन करते रहें। वेबसाईट पर उपलब्ध कराई गई सूचना की जानकारी प्राप्त न होना स्वीकार्य नहीं होगा।

निम्नलिखित रिक्त पदों पर नियुक्ति हेतु योग्य उम्मीदवारों से ऑनलाईन आवेदन पत्र आमंत्रित किये जाते हैं।

खण्ड "अ"

(एक)–रिक्त पदों की संख्या :–

चतुर्थ श्रेणी (आकस्मिकता निधि से वेतनभोगी) कर्मचारियों के रिक्त पदों की संख्या

क्रमांक	भर्ती हेतु स्थान	श्रेणीवार पदों की संख्या				कुल पदों की संख्या
		UR	OBC	SC	ST	
1	मुख्यपीठ– जबलपुर	27	06 (1 PH)	06	06 (1 PH)	45 (2 PH)
2	खण्डपीठ– इंदौर	07	01	02	01	11
3	खण्डपीठ– ग्वालियर	10 (1 PH)	01	02	00	13 (1 PH)
Total		44 (1 PH)	08 (1 PH)	10	07(1 PH)	69 (3 PH)

वेतनमान :– संबंधित जिले के कलेक्टर द्वारा शासकीय दैनिक वेतनभोगी कर्मचारियों हेतु निर्धारित/पुनरीक्षित दर अनुसार।

लिफ्टमैन (चतुर्थ श्रेणी कॉडर) के रिक्त पदों की संख्या

क्रमांक	भर्ती हेतु स्थान	श्रेणीवार पदों की संख्या				कुल पदों की संख्या
		UR	**OBC**	**SC**	**ST**	
1	खण्डपीठ– इंदौर	01	00	00	00	01

वेतनमान :– **5200–20200 ग्रेड पे 1900/–**

वाहन चालक (नियमित आकस्मिकता निधि से वेतनभोगी) के रिक्त पदों की संख्या

क्रमांक	भर्ती हेतु स्थान	श्रेणीवार पदों की संख्या				कुल पदों की संख्या
		UR	**OBC**	**SC**	**ST**	
1	मुख्यपीठ– जबलपुर	05	01	01	01	08

वेतनमान :– **5200–20200 ग्रेड पे 1900/–**

(दो)–पदनाम तथा शैक्षणिक एवं तकनीकी अर्हतायें तथा आयु सीमाः–

उपरोक्त पदों हेतु शैक्षणिक एवं तकनीकी अर्हतायें तथा आयु सीमा *High Court of Madhya Pradesh Services (Recruitment, general conditions of services, conduct, classification, control and appeal) Rules, 2017 (amended on 29th June, 2024)* के अनुसार निम्नानुसार हैं :–

पदनाम	शैक्षणिक एवं तकनीकी अर्हता	आयु सीमा दिनांक– 01.01.2025 को
चतुर्थ श्रेणी (आकस्मिकता निधि से वेतनभोगी) कर्मचारी	Minimum 8th standard and maximum 12th standard passed from any Board/Institution recognized by Government. शासन द्वारा मान्यता प्राप्त किसी बोर्ड/संस्था से न्यूनतम आठवीं कक्षा उत्तीर्ण, अधिकतम बारहवी कक्षा उत्तीर्ण।	18-35 वर्ष
लिफ्टमैन (चतुर्थ श्रेणी कॉडर)	(i) Minimum standard 10th pass. Maximum 12th standard passed from any Board/Institution recognized by Government. शासन द्वारा मान्यता प्राप्त किसी बोर्ड/संस्था से न्यूनतम दसवीं कक्षा उत्तीर्ण, अधिकतम बारहवी कक्षा उत्तीर्ण। (ii) Candidate should possess wireman's license and should have some experience in operation of lifts and some knowledge of electrical work connected with lift. अभ्यर्थी वायरमैन लाइसेंस धारित होना चाहिए व लिफ्ट के संचालन का कुछ अनुभव एवं लिफ्ट से जुड़े बिजली के काम का कुछ ज्ञान होना चाहिए।	18-35 वर्ष

	(iii) Experience:- candidate should have experience of handling work relating to operation of lift and knowledge of electrical work connected with lifts etc. अनुभव :– अभ्यर्थी को लिफ्ट संचालन से संबंधित कार्य को संभालने का अनुभव और लिफ्ट आदि से जुड़े विद्युतांत्रिकीय कार्य का ज्ञान होना आवश्यक है।	
वाहन चालक (नियमित आकस्मिकता निधि से वेतनभोगी)	(i) Minimum 10th standard and maximum 12th standard passed from any Board/Institution recognized by Government. शासन द्वारा मान्यता प्राप्त किसी बोर्ड/संस्था से न्यूनतम दसवीं कक्षा उत्तीर्ण, अधिकतम बारहवी कक्षा उत्तीर्ण। (ii) Must also possess a valid driving license and experience of driving vehicles of all types. अभ्यर्थी के पास आवश्यक रूप से ड्राईविंग लाइसेंस व सभी प्रकार के वाहनों के संचालन का अनुभव होना चाहिए। (iii) Preference shall be given to qualified mechanic. योग्य मैकेनिक को वरीयता दी जावेगी।	18-35 वर्ष

नोट–

1. अभ्यर्थी को लिफ्टमैन एवं वाहन चालक के पद हेतु अपना अनुभव प्रमाणित करने के लिये नियोक्ता/सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा। अनुभव की अवधि कम से कम 02 वर्ष होनी चाहिए।

2. वायरमैन लाईसेंस प्राप्त करने हेतु आवश्यक न्यूनतम शैक्षणिक/ तकनीकी योग्यता, लिफ्टमैन के पद की पात्रता का आकलन करने के लिये अयोग्यता का गठन नहीं करेगी।

3. "योग्य मैकेनिक" की विशिष्टता प्राप्त करने के लिए आवश्यक न्यूनतम शैक्षणिक/तकनीकी योग्यता, वाहन चालक के पद हेतु अयोग्यता का गठन नहीं करेगी।

4. वे अभ्यर्थी जो च्वाईस कोटा के अंतर्गत "को–टर्मिनस आधार" पर मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय में पदस्थ माननीय न्यायाधिपति के अधीन काम कर रहे हैं, उन्हें इस कोटे का लाभ लेने के लिए संबंधित माननीय न्यायाधिपति द्वारा जारी अपना सेवा प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा।

5. सभी श्रेणी के अभ्यर्थियों को अधिकतम आयु में 03 वर्ष की छूट दी जावेगी।

6. अभ्यर्थियों को ऑनलाईन आवेदन पत्र में स्वयं की शैक्षणिक/ तकनीकी योग्यता प्रमाण–पत्र/अंकसूची के अनुसार ही जानकारियाँ दर्ज करना अनिवार्य है, कोई विसंगति स्वीकार्य नहीं होगी।

7. उपरोक्तानुसार दर्शित न्यूनतम अर्हतायें ऑनलाईन आवेदन करने की अंतिम तिथि तक उत्तीर्ण होना एवं सुसंगत अंक सूची/प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है।

(तीन)–आरक्षण संबंधी टीपः–

मध्यप्रदेश राज्य के बाहर के सभी आवेदक, आवेदन पत्र में अपनी श्रेणी 'अनारक्षित' भरेंगे। केवल मध्यप्रदेश के मूल निवासी आवेदन पत्र में तद्नुसार अपनी श्रेणी अंकित कर सकेंगे।

(चार)–नियम–2017 के अनुसार चयन एवं अभ्यर्थिता के संबंध में अर्हता निम्नानुसार होंगी–

1. कोई भी अभ्यर्थी नियुक्ति के लिये तब तक पात्र नहीं होगा जब तक कि वह भारत का नागरिक ना हो।

2. कोई भी अभ्यर्थी जिसके एक से अधिक जीवित पत्नी/पति हैं, नियुक्ति के लिये पात्र नहीं होगा।

3. कोई भी अभ्यर्थी सेवा में नियुक्ति हेतु पात्र नहीं होगा, जिसकी 26 जनवरी 2001 को या उसके पश्चात् दो से अधिक संतान हैं, जैसा कि मध्यप्रदेश सिविल सेवा (सेवा की सामान्य शर्तें) नियम, 1961 के नियम, 6 (6) में प्रावधानित किया गया है।

   स्पष्टीकरण–

   (अ) व्यक्ति जिसके दो से अधिक संतान हैं को नियुक्ति हेतु अयोग्य नहीं समझा जाएगा, जहां पूर्व से ही एक जीवित संतान होने के पश्चातवर्ती प्रसव में एक से अधिक संतानें पैदा हुई हों।

   (ब) दिनांक–26.01.2001 से 280 दिनों के भीतर जन्मी संतान को अयोग्यता की श्रेणी में नहीं माना जाएगा।

4. कोई भी अभ्यर्थी नियुक्ति के लिये तब तक पात्र नहीं होगा, जब तक कि उसे जिला चिकित्सा बोर्ड द्वारा पद पर नियुक्ति के लिये शारीरिक रूप से स्वस्थ होना प्रमाणित न किया गया हो।

   परंतु अभ्यर्थी को नियुक्ति दिनांक से 30 दिवस के भीतर उक्त प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने की शर्त पर अस्थायी रूप से नियुक्त किया जा सकेगा। उक्त 30 दिवस की अवधि में प्रमाण पत्र प्रस्तुत नहीं करने की दशा में अभ्यर्थी की नियुक्ति समाप्त किये जाने के योग्य होगी।

5. अभ्यर्थी द्वारा स्वयं की अभ्यर्थिता हेतु समर्थन प्राप्त करने का कोई भी प्रयास उसे चयन के लिये अयोग्य कर देगा।

6. कोई भी अभ्यर्थी नियुक्ति के लिये पात्र नहीं होगा यदि वह :–

(अ) व्यक्तियों के किसी ऐसे समूह का सदस्य है या रहा हो, जिसे केन्द्रीय अथवा राज्य सरकार द्वारा (जैसी भी स्थिति हो) अवैध घोषित किया गया हो; और पद के लिए विज्ञापन के प्रकाशित होने की दिनांक तक सदस्य रहा हो;

अथवा

(ब) जिस पर सक्षम प्राधिकारी द्वारा ऐसी गतिविधि में भाग लेने अथवा ऐसे कार्यक्रम से जुड़ने का अभियोग लगाया गया हो ;

एक– जिसका ध्येय भारत के संविधान को क्षति पहुंचाने का रहा हो;

दो– जिसका ध्येय संगठित होकर हिंसा द्वारा विधि की अवज्ञा या भंग करना हो;

तीन– जो भारत की संप्रभुता व अखण्डता अथवा राज्य की सुरक्षा के हितों के प्रतिकूल हो; अथवा

चार– जो धर्म, वंश, भाषा, जाति या संप्रदाय के आधार पर व्यक्तियों के विभिन्न वर्गों के मध्य बैर, शत्रुता अथवा घृणा की भावना को बढ़ावा देता हो;

अथवा

(स) जिसे केन्द्रीय या राज्य सरकार द्वारा या स्थानीय निकाय अथवा किसी भी न्यायालय द्वारा सेवा से पृथक किया गया हो;

अथवा

(द) जिसे संघ अथवा किसी राज्य लोक सेवा आयोग द्वारा या किसी स्थानीय अथवा वैधानिक निकाय द्वारा अथवा किसी न्यायालय ने उसके द्वारा आयोजित की जाने वाली किसी परीक्षा या भर्ती प्रक्रिया में भाग लेने से वंचित अथवा अनर्ह किया गया हो;

अथवा

(ई) जिसे नैतिक अधमता से जुड़े किसी अपराध के लिये दोषसिद्ध किया गया हो।

(पांच)– अन्य आवश्यक अर्हता एवं जानकारी :–

(1) आरक्षित श्रेणी के अभ्यर्थियों को मध्यप्रदेश का मूल निवासी होना तथा सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी **स्थायी जाति प्रमाण पत्र** प्रस्तुत करना अनिवार्य है।

(2) केन्द्र या राज्य के शासकीय/अर्द्धशासकीय कार्यालयों/संस्था में कार्यरत् कर्मचारियों को नियुक्तिकर्ता प्राधिकारी का अनापत्ति प्रमाण पत्र संलग्न/प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा। यदि किसी अभ्यर्थी द्वारा स्वयं के नियोजित होने के संबंध में जानकारी छिपायी जाती है अथवा कोई असत्य जानकारी दी जाती है तो उसके विरूद्ध कड़ी अनुशासनात्मक कार्यवाही की अनुशंसा की जावेगी तथा उसकी अभ्यर्थिता निरस्त कर दी जावेगी।

(3) अभ्यर्थी किसी भी स्थापना में किसी भी पद हेतु नियुक्ति के लिये पात्र नहीं होगा, यदि उसके विरूद्ध कोई विभागीय जाँच लंबित हो।

(4) मध्यप्रदेश सिविल सेवा (सेवा की सामान्य शर्ते) नियम, 1961 के प्रावधान एवं समय–समय पर जारी संशोधनों के अंतर्गत अनर्हता के नियम लागू होंगे।

(5) साक्षात्कार में अभ्यर्थी का भाग लिया जाना पूर्णतः प्राविधिक है। अभ्यर्थी को साक्षात्कार के समय ऑनलाईन आवेदन पत्र के साथ अपलोड किये गये, स्वयं की शैक्षणिक व तकनीकी योग्यता संबंधी समस्त मूल (Original) दस्तावेज एवं फोटो परिचय–पत्र भी लाना आवश्यक है।

(6) चयन प्रक्रिया को संशोधित या निरस्त करने का पूर्ण अधिकार माननीय मुख्य न्यायाधिपति, मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय को होगा।

(7) यदि कोई उम्मीदवार विज्ञापन की शर्तें पूरी न करते हुये भी आवेदन प्रेषित करता है, या उसका आवेदन पत्र त्रुटिपूर्ण पाया जाता है, तो संज्ञान में आने पर किसी भी स्तर पर उसकी अभ्यर्थिता निरस्त कर दी जायेगी। इस संबंध में कोई भी पत्राचार/अभ्यावेदन मान्य नहीं होगा।

(8) यदि कोई उम्मीदवार विज्ञापन में उल्लिखित शैक्षणिक व तकनीकी योग्यता से संबंधित कोई भी दस्तावेज (उत्तीर्ण होने का) की जानकारी ऑनलाईन आवेदन पत्र में नहीं भरता है, व साक्षात्कार दिवस में दस्तावेज को लेकर आता है तो अभ्यर्थी की अभ्यर्थिता निरस्त कर दी जा सकेगी, और उसे साक्षात्कार में भाग लेने की अनुमति नहीं दी जावेगी। इस संबंध में कोई भी पत्राचार/अभ्यावेदन मान्य नहीं होगा।

(9) ऑनलाईन आवेदन पत्र में की गई समस्त त्रुटियों के सुधार हेतु ऑनलाईन फार्म भरने की अंतिम तिथि के पश्चात् 03 दिन का समय प्रदान किया गया है, ऐसे अभ्यर्थी जिन्होंने ऑनलाईन फार्म में त्रुटि की है, वे उक्त त्रुटि को सुधार सकते है (यदि उक्त त्रुटि अनुज्ञेय है तो), तिथि समाप्त होने के पश्चात् किसी भी तरह का कोई त्रुटि सुधार कार्य नहीं किया जावेगा तथा उपरोक्त संबंध में प्राप्त अभ्यावेदनों को नस्तीबद्ध कर दिया जावेगा।

(10) अभ्यर्थी इस तथ्य का विशेष ध्यान दें कि ऑनलाईन फार्म में भरी गई जानकारियों में से नाम, श्रेणी, जन्मतिथि, मूलनिवासी, दिव्यांगता, शासकीय कर्मचारी एवं वैवाहिक स्थिति के संबंध में की गई त्रुटि का सुधार उक्त 03 दिवस की अवधि में नहीं किया जा सकेगा। अतः अभ्यर्थियों से अपेक्षित है कि वे अपना आवेदन सावधानी पूर्वक भरें।

(11) यदि किसी अभ्यर्थी के विरूद्ध कोई दाण्डिक प्रकरण किसी पुलिस थाने/न्यायालय में विचाराधीन हो अथवा किसी न्यायालय से निराकृत हो चुका हो, तो निर्णय/संबंधित अधिनियम एवं धारा सहित प्रकरण क्रमांक व दिनांक आदि की जानकारी अनिवार्यतः दें। यदि कोई अभ्यर्थी आवेदन में दाण्डिक प्रकरण की जानकारी छिपाता है, तो किसी भी

समय संज्ञान में आने पर तत्काल उसकी अभ्यर्थिता बिना कोई कारण बताये निरस्त कर दी जायेगी।

(छः)—अनर्हताएँ –

निम्नलिखित मामलों में, उल्लंघन करने वाले आवेदकों का अभियोजन किया जा सकेगा और/या चयन के लिये उसकी उम्मीदवारी निरस्त की जा सकेगी और/या उसे या तो स्थायी रूप से या विशिष्ट अवधि के लिये विवर्जित कर दिया जाएगा :–

(1) जिसने अपनी उम्मीदवारी के लिये साक्षात्कार में किसी भी तरीके से समर्थन प्राप्त किया हो या इसके लिये प्रयास किया हो, या

(2) प्रतिरूपण (Impersonation) किया हो या कराया हो, या

(3) कूटरचित दस्तावेज या ऐसे दस्तावेज प्रस्तुत किये हों, जिनमें फेरबदल किया गया हो, या

(4) चयन के किसी भी स्तर पर दिये गये किसी भी आवेदन/प्रपत्र/अनुप्रमाणन/दस्तावेज में, असत्य जानकारी दी हो या सारभूत जानकारी छिपाई हो, या

(5) साक्षात्कार में प्रवेश पाने के लिये कोई अन्य अनियमित या अनुचित साधन अपनाया हो, या

(6) साक्षात्कार में अनुचित साधनों का उपयोग किया हो या करने का प्रयास किया हो, या

(7) साक्षात्कार संचालन में लगे कर्मचारियों/अधिकारियों को परेशान किया हो या धमकाया हो या शारीरिक क्षति पहुँचायी हो या किसी तरीके से दुर्व्यवहार किया हो, या

(8) आवेदकों को प्रवेश पत्र में दिये गये किन्हीं निर्देशों या अन्य अनुदेशों, जिनमें साक्षात्कार संचालन में लगे केन्द्र पर्यवेक्षक या अन्य कर्मचारी द्वारा मौखिक रूप से दी गई हिदायतें भी शामिल हैं, का उल्लंघन किया हो, या

(9) साक्षात्कार केन्द्र में शोर मचाना, वाद–विवाद करना, अधिकारियों व कर्मचारियों के आदेशों की अवहेलना करना या

(10) परिसर के भीतर या साक्षात्कार कक्ष/हॉल में कोई निषिद्ध वस्तु लाता है, या किसी फर्नीचर/वस्तु को कोई नुकसान पहुंचाता है, या

(11) साक्षात्कार में अपने पास किसी भी प्रकार की प्रतिबंधित सामग्री रखता है। साक्षात्कार कक्ष के अंदर मोबाइल फोन, कैमरा लगा कोई उपकरण या कोई भी इलेक्ट्रॉनिक और संचार उपकरण ले जाने की अनुमति नहीं होगी। इन निर्देशों का किसी भी प्रकार से उल्लंघन अभ्यर्थिता को रद्द कर देगा और अभ्यर्थी को चयन प्रक्रिया से निष्कासित किया जा सकेगा, जिसमें भविष्य की भर्ती प्रक्रियाओं में भाग लेने पर प्रतिबंध भी शामिल हो सकता है, अथवा

(12) ऑनलाईन फार्म में कोई भी प्रविष्टी अंकसूची/मार्कशीट/प्रमाण–पत्र से भिन्न करना, या

(13) मध्यप्रदेश राज्य के बाहर के अभ्यर्थी द्वारा आरक्षित श्रेणी में आवेदन करना, या

(14) अन्य कोई ऐसा आचरण किया हो जो आदर्श परीक्षार्थी के लिये वर्जित है।

(सात)–आवेदन–शुल्क :–

श्रेणी	परीक्षा शुल्क
अनारक्षित	रू. 200/– (दो सौ रूपये)
आरक्षित वर्ग एवं दिव्यांग अभ्यर्थियों हेतु (केवल मध्यप्रदेश राज्य के मूल निवासी आवेदकों हेतु)	रू. 100/– (सौ रूपये)

नोट :– (1) उपरोक्त शुल्क परिवर्तन के अधीन है और परिस्थितियों में परिवर्तन होने पर अभ्यर्थी को परिवर्तित शुल्क का भुगतान करना होगा। आवेदन शुल्क वापस किए जाने अथवा समायोजन किए जाने का कोई प्रावधान नहीं है तथा शुल्क परिवर्तन के संबंध में आपत्ति(यों) पर कोई विचार नहीं किया जायेगा ।

(2) अभ्यर्थी का आवेदन पूर्ण तभी माना जायेगा जब निर्धारित शुल्क का ट्रांजेक्सन सफलतापूर्वक हो चुका हो ।

यह सुनिश्चित करने की जिम्मेदारी पूर्णतः अभ्यर्थी की होगी कि साक्षात्कार हेतु आवेदन और शुल्क निर्धारित तिथि व समय के पूर्व जमा हो चुका है। बैंकिंग, ऑनलाइन ट्राँजेक्शन की असफलता, तकनीकी त्रुटि या अन्य किसी कारणवश यदि अभ्यर्थी का आवेदन व शुल्क निर्धारित अवधि में जमा नहीं हो पाते हैं, तो इसके लिये आवेदक स्वयं जिम्मेदार होगा। इस संबंध में प्राप्त अभ्यावेदनों पर कोई विचार न करते हुए उन्हें स्वतः निरस्त माना जावेगा।

(आठ)–ऑनलाईन आवेदन भरने सम्बन्धी महत्वपूर्ण जानकारी :–

कोई भी आवेदक चतुर्थ श्रेणी (आकस्मिकता निधि से वेतनभोगी कर्मचारी) हेतु मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय की मुख्यपीठ जबलपुर एवं खण्डपीठ इंदौर व ग्वालियर तीनों में से किसी भी एक पीठ हेतु आवेदन कर सकेगा।

आवेदन भरने हेतु प्रक्रिया–

आवेदन पत्र मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय की वेबसाईट www.mphc.gov.in पर ऑनलाइन उपलब्ध रहेगा। अभ्यर्थी को उक्त वेबसाईट पर जाकर "Recruitment/Result" पर क्लिक करना होगा, तत्पश्चात् "Online Application Forms/ Admit Cards - Click here" पर Click करना होगा। तत्पश्चात् उक्त पदों की भर्ती का ऑनलाईन आवेदन उपलब्ध होगा, जिसके समक्ष निम्न लिंक उपलब्ध रहेंगी :–

1. Advertisement
2. Application Form
3. Edit Application Form

Advertisement लिंक पर क्लिक कर विज्ञापन के पूरे निर्देशों को ध्यान से पढ़ लें, तत्पश्चात् Application Form लिंक पर क्लिक करें।

ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म भरने के पूर्व आवेदक को अपना मोबाईल नंबर दर्ज करना होगा जिस पर एक ओटीपी (One Time Password) प्राप्त होगा तथा उक्त ओटीपी दर्ज कर सत्यापित कर लॉगिन कर अभ्यर्थी फॉर्म भर सकेंगे।

तत्पश्चात् अभ्यर्थी अपना आवेदन फार्म पूरा भरकर अपनी फोटो, हस्ताक्षर एवं अन्य सुसंगत दस्तावेज अपलोड कर सकेंगे। तदोपरांत अभ्यर्थी Save & Next बटन पर क्लिक कर निर्धारित शुल्क का भुगतान कर सकेंगे।

शुल्क का भुगतान हेतु "Directorate of Treasuries & Accounts" की वेबसाईट का पेज खुलेगा, जिसमें "Address details of payee other details" में अपनी जानकारी चैक करके "Payment Details" में जाकर जिस प्रदत्त मोड से भुगतान करना चाहते हों, उस मोड का चयन करेंगे व निर्धारित शुल्क का भुगतान करेंगे। यह स्पष्ट किया जाता है कि अभ्यर्थी UPI के माध्यम से भी भुगतान कर सकता है।

उक्त प्रक्रिया पूरी होने के बाद अभ्यर्थी अपने शुल्क भुगतान की रसीद को प्रिंट बटन पर क्लिक कर प्राप्त कर लें। **आवेदन पत्र की रसीद का प्रिंट आऊट को भर्ती की आगामी प्रक्रिया के लिये अपने पास सुरक्षित रखें।**

नोट :– कृपया विज्ञापन को सावधानीपूर्वक पढ़ लें और यदि आपको ऑनलाईन फार्म भरने में कोई समस्या आती है, तो दूरभाष नम्बर (0761–2620380) पर सम्पर्क कर सकते हैं।

नोटः—यह सुनिश्चित करने की जिम्मेदारी स्वयं अभ्यर्थी की होगी कि, वे अपने आवेदित पद के लिये निर्धारित समस्त अर्हताओं और शर्तों को पूरा करते हैं। अतः आवेदन करने के पहले अभ्यर्थी अपनी अर्हता की जांच स्वयं कर लें और अर्हता की समस्त शर्तों को पूरा करने पर ही आवेदन पत्र भरें। प्रवेश पत्र जारी करने का अर्थ यह कदापि नहीं होगा कि अभ्यर्थी को अर्ह/योग्यताधारी मान लिया गया है। चयन के किसी भी स्तर पर अभ्यर्थी के अनर्ह/अयोग्य पाए जाने पर उसका आवेदन पत्र निरस्त कर उसकी अभ्यर्थिता समाप्त की जाएगी।

खण्ड–''स''

(क)–भर्ती की योजना :–

उक्त पदों की भर्ती दस्तावेजों की स्क्रीनिंग एवं साक्षात्कार के माध्यम से संपन्न होगी, साक्षात्कार के समय आवश्यक लगने पर प्रयोग के माध्यम से भी अभ्यर्थी की दक्षता की जांच की जा सकेगी। साक्षात्कार हेतु अभ्यर्थियों को निर्धारित तिथि व समय पर साक्षात्कार समिति के समक्ष उपस्थित होना अनिवार्य होगा, साक्षात्कार 30 अंकों का होगा। साक्षात्कार दिवस में अभ्यर्थियों को अपने साथ निम्नलिखित दस्तावेज लेकर आना अनिवार्य होगा :–

1. अर्हकारी व समस्त प्रमाण पत्रों (जिसका उल्लेख अपने ऑनलाईन आवेदन में किया है) की मूल Original प्रतियाँ
2. मूल Original पहचान पत्र
3. ऑनलाईन फार्म का प्रिंट आऊट, प्रवेश पत्र

नोट– आरक्षित वर्ग के समस्त अभ्यर्थियों को सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी स्थायी जाति प्रमाण पत्र एवं मूल निवासी प्रमाण–पत्र मूलतः लाना आवश्यक होगा। मध्य प्रदेश

के अतिरिक्त अन्य किसी राज्य में जारी किया गया जाति प्रमाण–पत्र मान्य नहीं होगा।

अभ्यर्थी को साक्षात्कार के समय ऑनलाईन आवेदन पत्र के साथ अपलोड किये गये, स्वयं की शैक्षणिक व तकनीकी योग्यता संबंधी दस्तावेज तथा अनुभव प्रमाण पत्र आदि समस्त मूल (Original) दस्तावेज एवं फोटो परिचय–पत्र लाना अनिवार्य **होगा। साक्षात्कार के पूर्व अभ्यर्थी के सभी दस्तावेजों की जांच उसके द्वारा भरे गये ऑनलाईन आवेदन पत्र के साथ अपलोड किये गये दस्तावेजों से मिलान करते हुए की जावेगी और केवल उन्हीं अभ्यर्थियों को साक्षात्कार बोर्ड के समक्ष उपस्थित होने की अनुमति प्रदान की जावेगी, जिनके दस्तावेज जांच उपरांत प्रथम दृष्टया सभी दृष्टिकोण से पूर्ण पाये जायेंगे। कोई भी अभ्यर्थी जो मूल दस्तावेज नहीं लाता है अथवा ऑनलाईन आवेदन पत्र के साथ अपलोड किये गये दस्तावेजों से मूल का मिलान नहीं होता है अथवा जानकारियों में भिन्नता पाई जाती है तो उसे साक्षात्कार की अनुमति प्रदान नहीं की जावेगी।**

यदि कोई अभ्यर्थी मूल दस्तावेज लेकर नहीं आता है या वांछित दस्तावेज लेकर नहीं आता है तो इसके लिये अतिरिक्त समय नहीं दिया जायेगा और ऐसे अभ्यर्थियों को अयोग्य मानते हुए उनकी अभ्यर्थिता निरस्त मानते हुए उन्हें साक्षात्कार बोर्ड के समक्ष नहीं भेजा जावेगा।

अभ्यर्थी इस तथ्य का विशेष ध्यान दें, साक्षात्कार पश्चात् अभ्यर्थियों के दस्तावेजों की पुनः जांच की जावेगी, परिणामस्वरूप यदि कोई अभ्यर्थी दस्तावेजों के आधार पर पात्र नहीं पाया जावेगा तो अपात्र घोषित कर दिया जावेगा, उक्त संबंध में किसी भी प्रकार का अभ्यावेदन स्वीकार्य नहीं होगा तथा नस्तीबद्ध कर दिया जावेगा, भले ही अभ्यर्थी मेरिट के आधार पर चयनित क्यों न हो रहा हो। यदि अभ्यर्थी किसी त्रुटि के चलते साक्षात्कार देने में सफल हो जाता है, तब भी उसकी अभ्यर्थिता चयन पूर्व व पश्चात् निरस्त की जा सकेगी।

(ख)–प्रवेश पत्र :–

प्रवेश पत्र साक्षात्कार के पूर्व उच्च न्यायालय म0प्र0 की वेबसाईट पर जारी किये जावेंगें, जिसका प्रिंट अभ्यर्थी को स्वयं निकालना होगा जिसके लिए अभ्यर्थी को अपना Credentials दर्ज करना होगा। प्रवेश पत्र में वर्णित निर्देशों का पालन करना अभ्यर्थी के लिये अनिवार्य होगा अन्यथा उसे आगामी भर्ती प्रक्रिया में भाग लेने से निरर्हित कर दिया जायेगा।

(ग)–साक्षात्कार केन्द्र व दिनांकः–

अभ्यर्थियों का साक्षात्कार नियत की गई तिथि में, अभ्यर्थी ने जिस पीठ में (उच्च न्यायालय, मध्यप्रदेश, मुख्य पीठ– जबलपुर एवं खण्डपीठ– इंदौर एवं ग्वालियर) भर्ती के लिये आवेदन किया है उस पीठ में या अन्य किसी जिले में (आवश्यकतानुसार) किया जा सकेगा, जिसकी सूचना उच्च न्यायालय की वेबसाईट पर प्रकाशित की जावेगी। अभ्यर्थी को अपने प्रवेश पत्र में अंकित तिथि को ही साक्षात्कार केन्द्र / जिले में उपस्थित होना होगा, उक्त संबंध में किसी भी अभ्यर्थी को कोई आपत्ति करने का अधिकार नहीं होगा एवं अभ्यर्थियों से प्राप्त अभ्यावेदनों को संक्षिप्ततः नस्तीबद्ध कर दिया जावेगा।

यदि किसी आपात स्थिति अथवा अपरिहार्य कारणों से साक्षात्कार तिथि को परिवर्तित करने की आवश्यकता होती है, तो इसकी सूचना म0प्र0 उच्च न्यायालय की आधिकारिक वेबसाईट www.mphc.gov.in एवं संबंधित जिले के सूचना पटल पर प्रकाशित की जावेगी।

(नौ) – आवश्यक सूचना :–

(1) आवेदक को अपने साक्षात्कार केन्द्र पर निर्धारित समय से 1 घंटा पूर्व अनिवार्य रूप से उपस्थित होना आवश्यक है।

(2) आवेदक द्वारा निर्धारित तिथि व समय पर साक्षात्कार केन्द्र पर उपस्थित न होने/ देर से उपस्थित होने पर आवेदक की अभ्यर्थिता निरस्त हो जाएगी तथा अन्य तिथि अथवा अन्य बोर्ड में साक्षात्कार देने की अनुमति नही दी जावेगी।

(दस): – अंतिम चयन सूची/परिणाम :–

साक्षात्कार समाप्त होने के पश्चात् श्रेणीवार मेरिट के आधार पर अंतिम चयन व प्रतीक्षा सूची तैयार की जावेगी जिसे उच्च न्यायालय की वेबसाईट पर प्रदर्शित किया जावेगा। समान अंक होने की दशा में ऐसे अभ्यर्थी जो ''च्वाईस कोटा'' के अंतर्गत ''को–टर्मिनस आधार'' पर उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश में पदस्थ माननीय न्यायाधीश के अधीन काम कर रहे हैं, उन्हें वरीयता दी जावेगी।

अंतिम परिणाम पर पुनर्विचार एवं परिर्वतन करने हेतु आवेदन करने का कोई प्रावधान नहीं है अतः इस विषय में प्राप्त आवेदनों पर कोई कार्यवाही नहीं की जाएगी तथा संक्षिप्ततः निरस्त कर दिये जायेंगे।

नोट– 1. चयनित अभ्यर्थी की नियुक्ति के लिये अर्हता उसके दस्तावेजों व पृष्ठभूमि के सत्यापन उपरांत नियुक्तिकर्ता प्राधिकारी की संतुष्टि के अध्यधीन होगी।

2. अंतिम परिणाम प्रकाशित होने के बाद भी यदि कोई कम्प्यूटर त्रुटि/लिपिकीय त्रुटि या अन्य कोई सारवान् त्रुटि ध्यान में आती है तो उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश का पारिणामिक परिवर्तनों के साथ चयन परिणाम को सुधारने का अधिकार सुरक्षित है।

(ग्यारह): प्रतीक्षा सूचीः

प्रत्येक पद की प्रतीक्षा सूची 1:2 (एक पद के लिए लगभग दो अभ्यर्थी) के अनुपात में तैयार की जावेगी। प्रतीक्षा सूची अंतिम परिणाम जारी होने की तिथि से 12 महीने की अवधि के लिये लागू रहेगी, जिसे माननीय मुख्य न्यायाधिपति के अनुमोदन के बाद 6 माह के लिये आगे बढ़ाया जा सकता है।

(बारह): प्राप्तांक / स्कोर कार्ड:

अंतिम परिणाम/सूची प्रकाशित होने के बाद साक्षात्कार में सम्मिलित हुए समस्त अभ्यर्थियों के प्राप्तांक उच्च न्यायालय म0प्र0 की वेबसाईट पर प्रकाशित किये जावेंगे, जिसके लिए अभ्यर्थी को अपना Credentials दर्ज करना होगा।

(तेरह): सूचना के अधिकार के तहत जानकारी:

सूचना के अधिकार के तहत जानकारी सूचना अधिकारी से निर्धारित शुल्क जमा करके प्राप्त की जा सकेगी।

(चौदह): विनष्टीकरण:–

आवेदन–पत्रो (अंतिम रूप से चयनित अभ्यर्थियों के आवेदन व दस्तावेजों को छोड़कर) व अन्य सामग्री को चयन सूची/अंतिम परिणाम घोषित होने के एक वर्ष बाद नष्ट कर दिया जायेगा।

(पंद्रह): यात्रा व्यय का भुगतान–
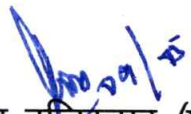
साक्षात्कार हेतु उपस्थित होने वाले किसी भी अभ्यर्थी को किसी भी प्रकार का यात्रा भत्ता अथवा व्यय देय नहीं होगा।

(सोलह): शुद्धिपत्र:–

आवश्यकता होने पर शुद्धिपत्र प्रकाशित किया जायेगा, जो कि इस विज्ञापन का भाग माना जायेगा। उच्च न्यायालय की वेबसाईट पर प्रकाशित "शुद्धिपत्र" को अभ्यर्थियों के लिये उचित एवं पर्याप्त सूचना के रूप में समझा जावेगा। "शुद्धिपत्र" की जानकारी प्राप्त नहीं होने के आधार पर प्राप्त अभ्यावेदनों को संक्षिप्ततः निरस्त कर दिया जावेगा।

(सत्रह): अभ्यावेदन / पत्राचार :–

ई0मेल के माध्यम से कोई भी अभ्यावेदन/आवेदन पोषणीय नहीं होगा और स्वतः निरस्त माना जाएगा। विज्ञापन की शर्तों में परिवर्तन, अर्हता, आयु–सीमा एवं साक्षात्कार तिथियों आदि में परिवर्तन या छूट के संबंध में कोई भी पत्राचार मान्य नहीं होगा।

प्रिंसिपल रजिस्ट्रार (परीक्षा)